

**MAHANTH MAHADEVANAND MAHILA MAHAVIDYALAYA,
ARA**

ACTIVITY REPORT

Name of department – Economics

Name of activity – Poster making on Consumer Rights Day

Level of Activity – Departmental

Date – 16/03/2024

Head of the Department – Dr. Supriya Jha

Name of Resource Person -

Number of Teacher Participated - 15

Number Of Students Participated - 60

Fruitful Outcome Of the Activity - Through this activity, students became aware about consumer rights and duties. Consumer awareness is an act of making consumers aware about products, goods, service and consumer rights. The right to information is used to protect consumers from deceptive advertisement, misleading labels, attracting packaging and high prices. This knowledge is crucial so that students can make

smart decisions and pick the best option for themselves. Students also knew that they could file complaints and seek justice against unfair trade practices. Thus this activity was successful in creating awareness among students regarding purchase and proper selection of goods.

Signature

Media Coverage



व उपभोक्ता की सतर्कता से नहीं होगा जान र माल की हानि : प्राचार्या मीना कुमारी


महिला कॉलेज के अर्थशास्त्र विभाग द्वारा विश्व उपभोक्ता दिवस पर पोस्टर कंपटीशन आयोजित

राष्ट्रीय सागर संवाददाता

आरा: विश्व उपभोक्ता दिवस पर महंत महादेव महिला कॉलेज आरा में अर्थशास्त्र विभाग द्वारा पोस्टर कंपटीशन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्या प्रो. मीना कुमारी ने किया। इस अवसर पर छात्रों के बीच पोषण कंपटीशन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए विभागाध्यक्ष डॉ. सुश्रिया झा ने बताया कि उपभोक्ता कौन है, उपभोक्ता की हितों को रक्षा तथा उनके अधिकारों के बारे में पूर्ण जानकारी दी। सजग उपभोक्ता को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। इसी जागरूकता को लेकर कंपटीशन कराया गया। प्राचार्या ने कार्यक्रम में सम्मिलित सभी छात्रों का होसला बढ़ाते



हूए कहा कि हर उपभोक्ता को पैसे का सही उपयोग करना चाहिए और लिया गया सामान सही होना चाहिए। इसके लिए सामानों पर दिए गए निर्देश को पढ़ना जरूरी है। डेट भी गड़बड़ किया जाता है। खाने पीने को समान के लिए तो बहुत ही जरूरी है। गलत पर तत्काल शिकायत करनी चाहिए। धन्यवाद ज्ञापन डॉ. अमरेश कुमार ने किया। प्रथम स्थान खुशी कुमारी, द्वितीय स्थान अर्चिता और तृतीय स्थान मधुमिता कुमारी ने प्राप्त किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारियों और छात्राएं उपस्थित थीं।



महिला कॉलेज में विश्व उपभोक्ता दिवस पर पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन उपभोक्ता के नाते गड़बड़ी दिखे तो करें शिकायत दर्ज, उठाएं आवाज : प्राचार्या

आरा, अंग भारत। विश्व उपभोक्ता दिवस को लेकर एमएम महिला कॉलेज आरा में अर्थशास्त्र विभाग द्वारा पोस्टर कंपटीशन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्या प्रो. मीना कुमारी ने किया। उन्होंने बताया कि इस दिन को आयोजित करने का मकसद उपभोक्ताओं को उनके अधिकार के विषय में जागरूक करना है। छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उपभोक्ता होने के नाते अगर आपको खान में या पैकेट पर लिखी जानकारी में कोई भी गड़बड़ी दिखे तो



आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। बड़े छात्रों को बताया कि उपभोक्ता अधिकार क्या होते हैं। जैसे कि जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं से सुरक्षा का अधिकार, अल्पकालीन, यथारोच, प्रतिस्पर्धी कोमनों पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के चयन का अधिकार, उपभोक्ता क्षतिपूर्ति मंचों पर शिकायत दर्ज करने का अधिकार, अनूचित व्यापार प्रदर्शनों के खिलाफ क्षतिपूर्ति की मांग करने का अधिकार आदि शामिल हैं। धन्यवाद ज्ञापन डॉ. अमरेश कुमार ने किया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान खुशी कुमारी, द्वितीय स्थान अर्चिता और तृतीय स्थान मधुमिता कुमारी ने प्राप्त किया। मौके पर कॉलेज के सभी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारियों और छात्राएं उपस्थित थीं।



Arrah, BR, India
Babu Bazar Road, Old Police Line, Arrah, 802301, BR, India
Lat 25.561587, Long 84.666374
03/16/2024 12:20 PM GMT+05:30
Note : Captured by GPS Map Camera

महिला कॉलेज विश्व उपभोक्ता दिवस मनाने के लिए पोस्टर कंपटीशन

आरा | महिला कॉलेज के अर्थशास्त्र विभाग में विश्व उपभोक्ता दिवस मनाने के लिए पोस्टर कंपटीशन हुआ। इसमें प्रथम स्थान खुशी कुमारी, द्वितीय स्थान अर्दिति और तृतीय स्थान मधुमिता कुमारी ने प्राप्त किया। अध्यक्षता प्राचार्य डॉ मीना कुमारी ने की। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता होने के नाते अगर आपको खाना में अथवा पैकेट पर लिखी जानकारी में कोई भी गड़बड़ी दिखे तो आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। झूठे विज्ञापन, खराब सामान और कीमत से जुड़ी किसी भी तरह की शिकायत के लिए आप बिना झिझक के आवाज उठा सकते हैं। संचालन विभाग अध्यक्ष डॉ सुप्रिया झा ने किया। उन्होंने छात्राओं को उपभोक्ता अधिकार के बारे में जानकारी दी। जैसे कि जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं से सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, यथासंभव, प्रतिस्पर्धी कीमतों पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के चयन का अधिकार, उपभोक्ता क्षतिपूर्ति मंचों पर शिकायत दर्ज करने का अधिकार और अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ क्षतिपूर्ति की मांग करने का अधिकार शामिल है। धन्यवाद ज्ञापन डॉ अमरेश कुमार ने किया।

1.

